

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): STATE VIGILANCE AND P.S.(थाना): CHAMBA Year(वर्ष): 2022
FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0002 Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय): 16/03/2022 02:57 AM

2. S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	INDIAN FOREST ACT, 1927	32
2	INDIAN FOREST ACT, 1927	33
3	IPC 1860	379

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): Tuesday Date From(दिनांक से): 15/03/2022 Date To(दिनांक तक): 15/03/2022
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 10:30 AM Time To (समय तक): 08:00 PM
(b) Information received at P.S.(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date(दिनांक): 16/03/2022 Time (समय): 01:51 AM
(c) General Diary Reference (रोजानामाचा संदर्भ): Entry No.(प्रविष्टि सं.): 002 Time (समय): 16/03/2022 01:51 AM

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-EAST, 100 Km Beat No(बीट सं.):
(b) Address(पता): Trealla, Churah
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S(थाना का नाम): District(State)(ज़िला(राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Ajay Kumar
(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
(e) UID No (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)
----------------	-------------------------------	-------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	VILLAGE-PS SVACB Chamba, PS-CHAMBA, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Permanent Address	VILLAGE-PS SVACB Chamba, PS:CHAMBA, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थायी पता)
1	Lakshman singh	Father:PARAS RAM	COLONY-Janwas,VILLAGE-Janwas, TEHSIL-Churah,PS-CHAMBA,DISTRICT- STATE VIGILANCE AND ANTI- CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	COLONY-Janwas,VILLAGE-Janwas, TEHSIL-Churah,PS-TISSA,DISTRICT- CHAMBA,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
--------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10.Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण नं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)
-----------------	----------------------------------

12.First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

इस समय दर्ज है कि एक रूकड़ा लिखित DY.SP अजय कुमार I/O थाना रा0 स0 एवं भ्र0 रो0 ब्यूरो चम्बा बदस्त मा0मु0आ0 गगेश कुमार के बराये कायमी मुकदमा मौसूल थाना हुआ है जिसका मजबूत जेल है। सेवा में प्रभारी थाना रा0 स0 एवं भ्र0 रो0 ब्यूरो चम्बा जिला चम्बा सरकारी कार्य हेतु है कि दिनांक 14-03-2022 को मैं Dy.SP थाना SV& ACB चम्बा के मुलाजमान HC सतिन्द सिंह,HHC गगेश कुमार HHC दिनेश कुमार ,HHC / चालक योगिन्द सिंह के मय सरकारी गाड़ी न0 HP07-1327 के रपट न0 11 दिनांक 14-03-2022 खुफिया पताजोही हेतु अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले इलाके तीसा की तरफ निकला था व खुफिया सूचना सहकर्मियों सहित एकत्रित कर रहा था तो जब समय रात के 9-30 बजे भंजराडू तीसा में था तो खुफिया सोरस से विश्वसनीय सूचना मिली की तीसा के गांव तरेला में बंसी लाल S/O चन्द लाल जिसकी अपनी करियाना की दुकान तरेला में है वह अपनी दुकान जिसके उपर ही वह मकान भी बना रहा है में चरस की खरीद व बिक्री का अवैध कारोबार कर रहा है जो तुरन्त उसके घर व दुकान आदि में रेड करने पर भारी मात्रा में चरस की ब्रामदी हो सकती है। जो इस सूचना पर मैने धारा 41(1) ND& PS ACT के तहत विश्वास करने के कारण भी अलग लिखे है व क्योंकि भन्जराडू में JMIC की अदालत व निवास भी नजदीक है इसलिए उक्त बंसी लाल की दुकान व घर की तलाशी हेतु सर्च वारण्ट लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा व JMIC के सरकारी आवास पर जाकर विधि पूर्वक सर्च वारण्ट हासिल किया परन्तु क्योंकि समय देर रात का हो चुका था व इलाका तरेला दूर होने के कारण अतिरिक्त सर्च / पुलिस दल हेतु भी पुलिस अधीक्षक चम्बा से वर्दीधारी कर्मचारी आईन्दा प्राप्त: थाना विजिलैस चम्बा में भेजने की गुजारिश की व थाना विजिलैस चम्बा से निरीक्षक कर्ण सिंह को समुचित पुलिस / विजिलैस दल के साथ तीसा में पहुंचने हेतु निर्देश दिया व स्वयं सहकर्मियों सहित PWD रैस्ट हाउस तीसा में रात्रि ठहराव हेतु रुका। जो चम्बा से निरीक्षक कर्ण सिंह वर्दीधारी व अन्य विजिलैस कर्मियों सहित जिसमें थाना विजिलैस की दो महिला कर्मचारी भी थी। व सर्च पार्टी में स्वतन्त्र गवाह के तौर पर राजकीय महाविध्यालय तीसा के Asstt. Prof. श्री सुभान खान व PWD डिविजन के JE अजय कुमार को भी अपने साथ लिया व पूरा सर्च दल सरकारी / प्राईवेट गाड़ियों में तरेला स्थित बंसी की दुकान की तरफ निकला जब समय लगभग 8-30 AM पर हम सभी तरेला स्थित बंसी की दुकान पर पहुंचे तो दुकान पर बतौर दुकानदार मौजूद व्यक्ति से जब उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम प्रेम चन्द बताया व जब उससे बंसी लाल के बारे पूछा तो प्रेम चन्द ने बताया कि बंसी उसका सबसे बड़ा भाई है वह उसके मंझले भाई का नाम का नाम लक्ष्मण है जो इनका इक्कठा पुश्तैनी घर उपर जनवास स्थित गांव में है व बंसी इस समय जनवास में परिवार के साथ है व लक्ष्मण सड़क की ठेकेदारी के काम के लिए गया है जो लक्ष्मण दुकान पर आने ही वाला है। जो लक्ष्मण के आने का इंतजार किया गया। जो समय लगभग 10-30 बजे दिन के आस-पास लक्ष्मण भी दुकान पर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि दुकान पर अक्सर लक्ष्मण अधिक बैठता है व बंसी अपेक्षाकृत कम बैठता है। जबकि परिवार के तौर पर यह संयुक्त रूप से रहते है। जो इसके उपरान्त लक्ष्मण को हालात सर्च वारान्ट व तालाशी समझाकर गवाहों की हाजिरी में उसके मध्यदल पर स्थित दुकान व उपर स्थित निर्माणाधीन मकान तथा भू-तल पर स्थित गोदाम आदि की तलाशी विधिपूर्वक स्वतन्त्र गवाहों की हाजिरी में अमल में लाई जो दौराने तलाशी दुकान के उपर स्थित निर्माणाधीन मकान के सड़क के किनारे वाले कमरे में ताजा चिरान की हुई लकड़ी के कुल आठ नग व मकान के पिछली साईड दरियां की तरफ कमरे में भी इसी प्रकार के कुल 35(पैंतीस) नग रखे पाये व इसी प्रकार इसी निर्माणाधीन के भू-तल पर उतर पूर्व दिशा में स्थित एक भूमिगत पत्थर नूमा तहखाना में भी इसी तरह के कुल 8 (आठ) नग रखे मिले तथा दुकान / भवन के भू-तल पर स्थित एक गोदाम में बोरो / बोरियों में भेड़ की ऊन व कुछ Minor Forest Produce (जंगली जड़ी बूटी) भारी मात्रा में स्टोर की हुई मिली पृछने पर लक्ष्मण ने बताया कि उसने वन विभाग से जंगली जड़ी बूटी खरीदने का Purchasing License ले रखा है।वह जड़ी बूटी खरीदने / बेचने का व्यवसाय पिछले सात -आठ वर्षों से कर

रहा है। जो लकड़ी के नगों (स्लीपरों) में किसी भी प्रकार का वन विभाग का अधिकारिक हैम्बर लगा नहीं पाया व मांगने पर वित्त वर्ष 2021-22 का Forest Produce Purchase License भी लक्ष्मण सिंह पेश नहीं कर सका जो इस बारा इलाका के वन कर्मियों का सहयोग वांछित होने पर सम्बन्धित D.F.O चुराह श्री कुलदीप जमवाल को उनके फोन न0 पर सम्पर्क करके इलाका से सम्बन्धित Forest R.O व B.O आदि को मौका पर भेजने की गुजारिश की जिस पर उन्होंने सम्बन्धित कर्मियों को मौका पर भेजने का अश्वसन दिया। मौका पर यह पता चलने पर की बंसी का पुशतैनी घर तरेला से जनवास गांव में भी है। उस घर की तलाशी लेना भी आवश्यक था तो मौका से स्वतन्त्र गवाहों सहित तथा Insp. कर्ण व महिला कर्मियों सहित मैं जनवास गांव की तरफ सरकारी व प्राईवेट गाड़ियों में निकला व तरेला गांव स्थित बंसी की दुकान से उसके भाई प्रेम को भी साथ लिया व 20,25 मिन्ट में गांव जुनास में बंसी के घर पहुंचने पर वहां पर बंसी व उसके भाई लक्ष्मण दोनों की पत्निया वंहा मौजूद पाई जिनको भी हालात वारान्ट खाना तलाशी समझाये गये व पूरे घर की खाना तलाशी विधिपूर्वक ली परन्तु घर में कोई मादक द्रव्य या Forest Produce ब्रामद नहीं हुआ इसी प्रकार वापिस तरेला पहुंचने पर बंसी की दुकान की गहन तलाशी एक बार फिर साथ लाये Dog Squad व उसके Handler आरक्षी धीरज की सहायता से ली परन्तु वंहा पर भी लकड़ी के नगों व Minor Forest Produce के अलावा अन्य कोई भी मादक द्रव्य चरस इत्यादि ब्रामद न हो सका। इतने में फोरेस्ट विभाग की तरफ से R.O. Forest Range तीसा श्री रजनीश कुमार, Forest गार्ड with चार्ज Forest Block बैरा तथा Forest गार्ड कर्मचन्द Beat साल अपने Forest चौकीदार सहित मौका पर पहुंचे जिन्हे भी हालात तलाशी व मौजूद अवैध लकड़ी समझाये गये व पूछने पर उन्होंने भी पुष्टि की लकड़ी के उक्त नग बिना अधिकारिक हैम्बर के है। व उक्त नग ताजा चिरान किये हुये देवदार के पेड़ों के है। तथा मौका पर मौजूद लकड़ी के नगों का भी फिते द्वारा मापन व बौरियों में बन्द Forest Produce का तुलान Electronic तराजू जो उक्त दुकान में उपलब्ध मिला से लिया जो ब्रामद लकड़ी तथा मौका पर मौजूद Forest Produce जड़ी बूटी का मापन व तुलान विवरण निम्न लिखित पाया गया। देवदार के नगों (स्लीपरों) का मापन व विवरण

क्रम संख्या	माप	संख्या	
1		6'x10 "x4"	02
2	6'x10"x5"		13
3		9'x1'x5"	02
4		9'.5"x11"x5"	01
5		8'.8"x1'x4.5"	02
6		6'x5"x6"	01
7		9'.5"x7"x4"	01
8		9'.5"x10"x5"	02
9		9'x11"x5"	01
10		9'x8"x5"	01
11		6'.7"x11"x5"	04
12		8'.9"x11"x4"	02
13		9'x5"x4"	01
14		9'.6"x9"x5"	01
15		6'x5"x4"	01
16		6'.7"x11"x5"	01
17		10'x11"x5"	06
18		10'x06"x5"	01
19		8'.8x1"x4"	01
20		8'.8"x9"x5"	01
21		8'.10x11"x4"	01
22		8'.8x11"x4"	01
23		8'x9"x3"	01
24		8'x10"x4"	01
25		9'x10"x5"	01
26		8'8"x1"x5"	01
	कुल	51नग(स्लीपर)	

Minor Forest Produce (जड़ी बूटियों का तुलान विवरण)

क्रम संख्या -	जड़ी बूटी का नाम	तोल/ भार
1)	कौड	15 किग्रा 61 Kg.
2)	स्माक	9 Kg.
3)	बनककड़	3 किग्रा 2 Kg.
4)	पठानबेल	1 किग्रा 42 Kg.
5)	भूतकैशी	1 किग्रा 20 Kg.
6)	मूशकवाला	8 किग्रा 9 Kg.
7)	चुकरी	25 Kg.
8)	जंगली धूप	21 Kg.

जो उपरोक्त ब्रामदा लकड़ी पूर्णतः अवैध पाई गई है जबकि स्टोक में मौजूद जड़ी बूटियों के बारे में पूछने पर लक्ष्मण सिंह वित्त वर्ष 2021-22 का जड़ी बूटी का खरीद लाईसैन्स पेश नहीं कर पाया वह Claim कर रहा है कि उक्त जड़ी बूटी इसने वित्त वर्ष 2020-21 के तहत प्राप्त की है। Forest Produce Purchase लाईसैन्स के तहत खरीद की थी जिसकी छायाप्रति भी इसने मौका पर प्रस्तुत की परन्तु मौका पर उपलब्ध स्टोक कम है जबकि स्टोक रजिस्ट्रर पर दर्शाया गया स्टोक अधिक है। जिस बारा विस्तृत पताजोही छानबीन करने के उपरान्त ही जड़ी बूटियों के जायज Possession बारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। जिसे Pending रखा गया परन्तु मौका से ब्रामदा लकड़ी व जड़ी बूटी के खरीद बिल पर आधारित स्टोक रजिस्ट्रर को फर्ड द्वारा कब्जा विजिलेंस में लिया गया व ब्रामदा लकड़ी को मौका पर ही इसी फर्ड द्वारा संपूर्णदारी पर मौका पर हाजिर आये R. O Forest Range Tissa श्री रजनीश कुमार के हवाले किया गया व Minor Forest Produce (उपर वर्णित) की बोरियों को इसी दुकान के गोदाम में रख कर गोदाम के शटर को ताला लगा कर उसे मोहर "H" की तीन मोहरों से सील किया गया। लक्ष्मण सिंह ने अपने पिता का नाम श्री परस राम बताया जिसे उसके आधार कार्ड से भी Verify किया गया जो इस से यह निष्कर्ष निकलता है कि बंसी लाल के पिता का नाम भी परस राम है जो सम्भवतः खुफिया सोर्स ने सूचना देते समय बंसी लाल के पिता का नाम परस राम की जगह चन्दू लाल बता दिया था। जिसे मौका पर से Verify किया गया। दुकान जो तरेला में स्थित है व जंहा तलाशी अमल में लाई गई उसका जो पुराना लाईसैन्स 2010 में बना लक्ष्मण सिंह ने दिखाया व लक्ष्मण सिंह के नाम पर बना है। फर्ड मौक पर तैयार की गई। फर्ड पर स्वतन्त्र गवाहों, लक्ष्मण सिंह, मैने व Forest विभाग की तरफ से R.O रजनीश कुमार ने तथा निरीक्षक कर्ण ने अपने- अपने हस्ताक्षर किये हैं फर्ड की एक प्रति मौका पर लक्ष्मण सिंह दुकान/ मकान मालिक को निशुल्क दी गई। जो लक्ष्मण सिंह S/O परस राम का इस प्रकार अपनी लाईसैन्स शुदा दुकान करियाना के निर्माणाधीन उपरी तल पर गैर परमिट शुदा वन्य लकड़ी देवदार अवैध रूप से काटना व रखना भारतीय वन अधिनियम की धारा 32,33 IF ACT व IPC की धारा 379 के अन्तर्गत संज्ञय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः आपसे अनुरोध है कि लक्ष्मण सिंह उपरोक्त के खिलाफ धारा 32,33 IF ACT व IPC की धारा 379 में अभियोग पंजीकृत करके फाईल मौका पर भेजे जिस हेतु रूका लिख कर HHC गगेश कुमार के माध्यम से SV&ACB चम्बा भेजा जा रहा है। जंहा पर मैं मौका पर अन्वेषण कर रहा हूं। Sd. Dy.SP अजय कुमार SHO PS SV& ACB दिनांक 15-03-2022 at 9.30PM बमुकाम तरेला व फासला 100 KM दिशा उत्तर पूर्व। कार्यवाही - हस्व जाब्ता रुक्का का मजबूत शब्द व शब्द लिखा जाकर मुकदमा अन्तर्गत धारा 32,33 IF ACT व IPC की धारा 379 के अधीन दर्ज रजिस्ट्रर थाना किया गया जो FIR की जरूरी प्रतियां कम्प्यूटर द्वारा तैयार करी गई जो FIR की प्रतियां मुख्या न्यायाधीश चम्बा को बद्स्त H/ASI सलीम खान के भेजी जा रही है व अफसरान बाला को बजरिया E-MAIL भेजी जा रही है। बकूह का इन्द्राज सम्बन्धित रजिस्ट्ररों में किया जा रहा है। मिसल मुकदमा तैयार करके बद्स्त HHC गगेश कुमार के मौका भेजी जा रही है।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है।):

(1) **Registered the case and took up the investigation** (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

Mahinder Singh (INSP. (Inspector)) /

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** (जांच अधिकारी का नाम):

Rank (पद):

No(सं.):

to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) **Refused investigation due to** (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

District(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Mahinder Singh

Rank (पद): INSP. (Inspector)

No(सं.):

15.Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)